संख्या:64/2020/1773जेएल/22-3-2020-100(37)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 08 सितम्बर, 2020*

विषय: केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी विजय सिंह पुत्र स्व0 प्रेम सिंह को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-22217/सामा-1(7)/विजय सिंह/2020, दिनांक 04-09-2020 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी विजय सिंह पुत्र स्व0 प्रेम सिंह को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार बांदा में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या:64/2020/1773जेएल(1)/22-3-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज/बांदा।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज/बांदा।
5. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज से जिला कारागार बांदा में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से उ0प्र0शासन को उपलब्ध करायें।
6. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार बांदा।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in